

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 383 / FP/UK/ROAD/17042/2015 देहरादून: दिनांक: 28 जुलाई, 2016

सेवा में,


अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.975 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक- 373, दिनांक 28-07-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 हेतु से अधिक क्षेत्रफल तथा प्रति 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/17042/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
- प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण।

(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद चमोली के अन्तर्गत निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.975 हैं वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर में 2.625 हैं राजस्व वन भूमि एवं 0.35 हैं पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 2.975 हैं वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 हैं से अधिक क्षेत्रफल तथा प्रति हैं 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, मूर्मि सर्वेत्यानि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : २४ / 07 / 2016

स्थान : देहरादून

कर्मान्वय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन अधिकारी

उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड, देहरादून।

फाइल - 373 / FP/UK/ROAD/17042/2015 देहरादून दिनांक, 28 जून, 2016

वन मे.

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,

शोधीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में खजूखाल से निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का और वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन फाईल संख्या- FP/UK/ROAD/17042/2015)

सार्वभौमिकता-भारत सरकार की पत्र संख्या- Misc/H/ROC/COP/I/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उचित पत्र के अनुपालन में विपर्यासित वन भूमि उत्तराखण्ड प्रतावन की दाता कर्ता की ओर प्रति रालगा कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिकारी, 1980 के अन्तर्गत रवीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवनीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या 373 / FP/UK/ROAD/17042/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर संविवेत वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवनीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।